

जारी  
19/3/19

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

Email ID- ceo\_uttaranchal@eci.gov.in

फोन न० (0135) - 2713760, 2713551

फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 1240 / XXV-12(P-7)/2008

देहरादून: दिनांक 19 मार्च, 2019.

सेवा में,

Shri Nikhil Thapa,  
Office Age B/R(I)  
Under GE(I) A/F UPPER Shillong  
Meghalaya East Khasi Hill  
Pin-793009.

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 08.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सन्दर्भित सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या-01 एवं 02	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17, 18 एवं 19 के अन्तर्गत किसी भी भारतीय अर्ह नागरिक का नाम संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में उस स्थान पर पंजीकृत किया जा सकता है जहां पर वह सामान्यतया निवास करता है। सुलभ संदर्भ तत्संबंधी उद्धरण संलग्न कुल 02 पृष्ठ
-------------------------	--

संलग्न-यथोपरि 02 पृष्ठ

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी०पी० डंगवाल)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

011

*Representation of the People Act, 1950*  
(PART II.— Acts of Parliament)

<sup>1</sup>[Provided that "qualifying date", in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part in the year 1989, shall be the 1st day of April, 1989.]

**15. Electoral roll for every constituency.**—For every constituency there shall be an electoral roll which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Election Commission.

**16. Disqualifications for registration in an electoral roll.**—(1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he—

(a) is not a citizen of India; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt<sup>2</sup> \* \* \* practices and other offences in connection with elections.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included:

<sup>3</sup>[Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of a disqualification under clause (c) of sub-section (1) shall forthwith be re-instated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorising such removal.]

**17. No person to be registered in more than one constituency.**—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency<sup>4</sup> \* \* \*

**18. No person to be registered more than once in any constituency.**—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.

<sup>5</sup>**19. Conditions of registration.**— Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who—

(a) is not less than<sup>6</sup> [eighteen years] of age on the qualifying date, and

(b) is ordinarily resident in a constituency,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.]

**20. Meaning of "ordinarily resident".**—<sup>7</sup>[(1) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a constituency on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein.

(1A) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

1. Ins. by Act 21 of 1989, s. 3 (w.e.f. 28-3-1989).

2. The words "and illegal" ins. by Act 73 of 1950, s. 4 and omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and Sch. II.

3. Ins. by Act 73 of 1950, s. 4.

4. The words "in the same State" ins. by Act 2 of 1956, s. 12 and omitted by Act 58 of 1958, s. 6.

5. Subs. by Act 58 of 1958, s. 7, for s. 19.

6. Subs. by Act 21 of 1989, s. 4, for "twenty-one years" (w.e.f. 28-3-1989).

7. Subs. by Act 58 of 1958, s. 8, for sub-section (1).

<sup>1</sup>[परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली—हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं — (1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट <sup>2</sup>\*\*\* आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

<sup>3</sup>[परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ]]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए <sup>4</sup>\*\*\* निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

<sup>5</sup>[19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन यह है कि हर व्यक्ति जो—

(क) अर्हता की तारीख को <sup>6</sup>[अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ—<sup>7</sup>[(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

<sup>1</sup> 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

<sup>3</sup> 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>4</sup> 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>7</sup> 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

UT  
15/3/19

To,

The state public Information Office  
OFFICE OF CHIEF ELECTORAL OFFICE  
GOV't OF UTTARAKHAND  
4 SUBHASH ROAD,NORTH BLOCK,  
SECRETARIAL DEHRADUN(UTTERAKHAND)-248001

**SUB: AN APPLICATION FOR OBTAINING INFORMATION ON UNDER RIGHT SECTION 6 (1) OF THE INFORMATION ACT 2005.**

Sir,

The applicant wants the following information which is necessary to ascertain justification for information of the general public at large. Even otherwise, I am demanding the relevant information as a matter of right:-

**Sr.NO.**

**INFORMATION REQUIRED**


- 1) Whether those central Gov't civilian employee whose home address is utterakhand but servicing in other state for long time can apply and will get vote of id on same state or not. Please give specification on this question.
- 2) Which state will provide vote id to aforesaid employee, his permanent place as per his address or his working place where presently he is posted.

Indian Postal order worth Rs.(Rupees Ten only) towards fee for providing the required information under the state right to information ACT,2005,is enclosed herewith in your favour as detailed.

IPO NO.	DATE	AMOUNT
40F 482053	11/3/2019	10 Rs

**You are requested to send the information to me in the following address.**

Thanking you

  
NIKHIL THAPA  
OFFICE AGE B/R(I)  
UNDER GE(I) A/F UPPER SHILLONG  
MEGHALAYA EAST KHASI HILL  
PIN-793009